भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 262271

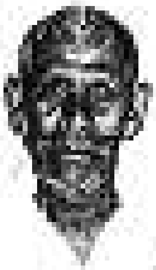

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 2,43,148/-
2.	मालियत	:	रू0 1,17,700/-
3.	स्टाम्प	:	रू0 24,400/-
4.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
5.	परगना	:	बिजनौर
6.	ग्राम	:	बटौना
7.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या-15 व 19

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH A 262272

8.	मापन की इकाई	:	हेक्टेअर
9.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.107 हेक्टेअर
10.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
11.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/अन्य	:	नहीं

चौहद्दी

खसरा नं0 15

पूरब	:	खसरा संख्या–13
पश्चिम	:	खसरा संख्या–18, 19
उत्तर	:	खसरा संख्या–14
दक्षिण	:	खसरा संख्या–16, 18

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 26227

खसरा नं0 18

पूरब	: खसरा संख्या–15, 16
पश्चिम	: खसरा संख्या–19, 34
उत्तर	: खसरा संख्या–19
दक्षिण	: खसरा संख्या–17

प्रथम पक्ष की संख्या–03 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) बाबू लाल पुत्र बीरू व (2) राम सागर पुत्र बेचा (3) श्रीमती राजवती पत्नी स्व0 बेचा, निवासीगण– ग्राम –बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ। व्यवसाय – कृषि		सुशील पुत्र जगतपाल निवासी– मिर्जापुर, पिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 262274

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) बाबू लाल पुत्र बीरू व (2) राम सागर पुत्र केवा (3) श्रीमती राजपती पत्नी स्व0 केवा, निवासीगण- ग्राम -बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् सुशील पुत्र जगतपाल, निवासी- मियांपुर, सिठारी, पोस्ट-गढ़गांव, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 585957

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या–15 रकबा 0.082 हेक्टेअर, खसरा संख्या–18स रकबा 0.025 हेक्टेअर, कुल 2 किता व कुल रकबा 0.107 हेक्टेअर स्थित–ग्राम– बरौना, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित कम्प्यूटरीकृत खाता खतौनी क्रम संख्या 00165 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो गया है, उक्त भूमि विक्रेतागण को विरासत में मिली है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 55593

हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 565959

न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अर्न्तगत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्तसहमति के फलस्वरूप रू0 2,43,148/- (रूपया दो लाख तैतालिस हजार एक सौ अड़तालिस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु Rs500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता **सुशील** पुत्र जगपाल, निवासी- मिर्जापुर, बिटारी, पोस्ट-नवगांव, जिला-फतेहपुर, उ०प्र० के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान

५०० रु.   Rs 500

भारत

पांच सौ रुपये   FIVE HUNDRED RUPEES

का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण इसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 701594

त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 701595

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौन। अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य भाग के अन्तर्गत आता है इसलिए

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 707596

7 FEB 2004

A.T.O/T.O.
TRY.LKO

निर्धारित सर्किल रेट रु0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.107 हेक्टेयर की मालियत रु0 1,17,700/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 24,400/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अभिवास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग,

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 701597

2 FEB 200[illegible]
A.T.O.
TRY LKO.

राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

विक्रय पत्र

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

बही [illegible] [illegible]

श्री / श्रीमती [illegible]

पुत्र / पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

ने यह विक्रय पत्र [illegible] दिनांक [illegible] समय [illegible]

को निबंधन हेतु पेश किया।

[illegible]

उप निबंधक (प्रथम)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

विक्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

क्रेता

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible]

श्री/श्रीमती [illegible]

पुत्र/पत्नी श्री [illegible]

पेशा [illegible]

निवासी [illegible]

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या–15 रकबा 0.082 हेक्टेअर, खसरा संख्या–18स रकबा 0.025 हेक्टेअर, कुल 2 किता व कुल रकबा 0.107 हेक्टेअर स्थित–ग्राम– बरौना, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेतागण ने रु0 2,43,148/– (रुपया दो लाख तैंतालिस हजार एक सौ अड़तालिस मात्र) द्वारा चैक संख्या क्रमशः 110565, 110566, व 110567 दिनांकित 06.07.2007 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 2,43,148/– (रुपया दो लाख तैंतालिस हजार एक सौ अड़तालिस मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करता है।

नोट : पृष्ठ संख्या–14 पर चैक संख्या पेन से लिखी है।

लखनऊ

दिनांक: 26.03.2007

गवाह

1.

विक्रेतागण

क्रेता

2.

टाईपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसौदाकर्ता
(सैय्यद अन्जर हुसैन)
एडवोकेट

ने निष्पादन स्वीकार किया

जिनकी पहचान श्री सुशील कुमार मिश्रा

पुत्र श्री पी.सी. मिश्रा

पेशा व्यापार

निवासी [illegible]

व श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

पेशा कृषि

निवासी [illegible] ([illegible])

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

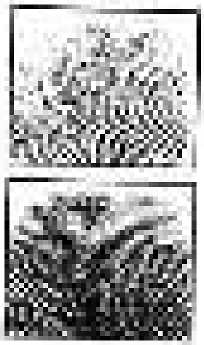

के.के. शुक्ला

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

23-3-2007

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए. के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता:- बाबू लाल पुत्र मोहन निवासी– ग्राम –करौरा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ. बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:-

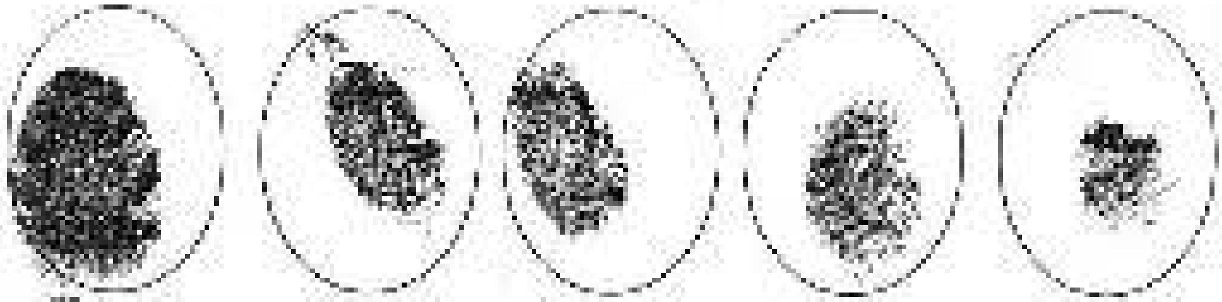

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

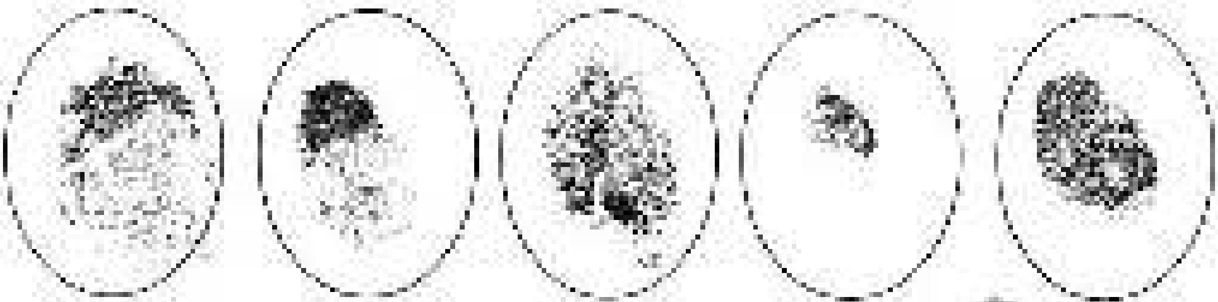

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का नाम व पता:- राम सागर पुत्र बेचा निवासी- ग्राम-करौरा, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ. बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

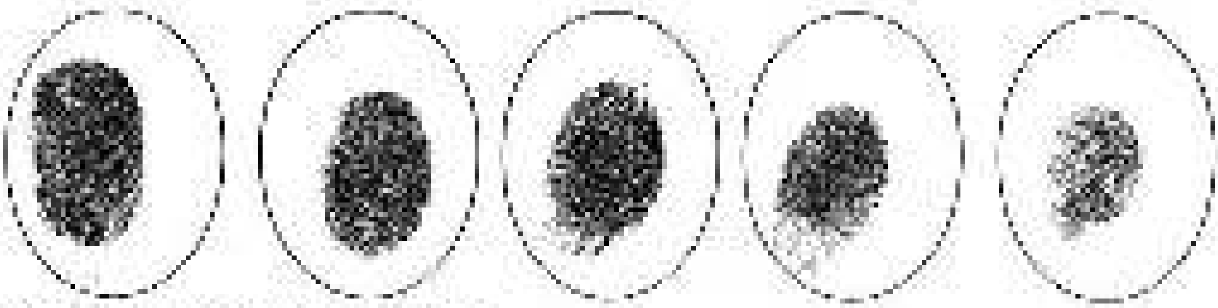

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

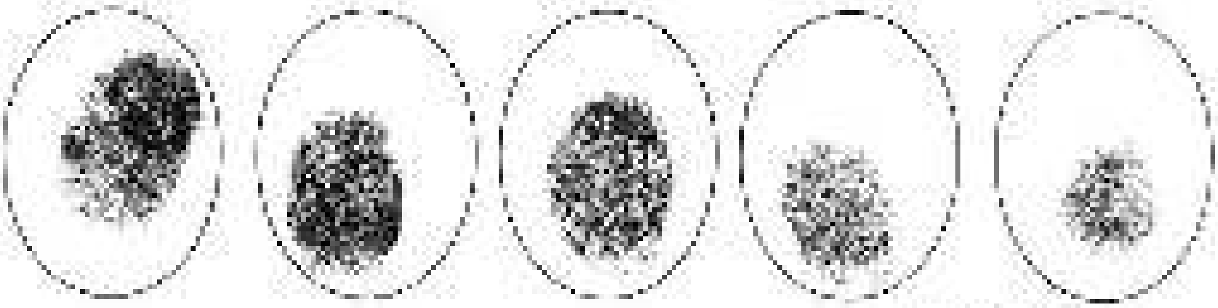

Ram Sagar

प्रस्तुतकर्ता/क्रेता का हस्ताक्षर

বিক্রেতা

Registration No. 2323 Year: 2007 Book No. I

0101 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

0102 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

0103 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता– श्रीमती रामवती पत्नी स्व0 बेचा, निवासीगण– ग्राम –बरौना, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ ।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

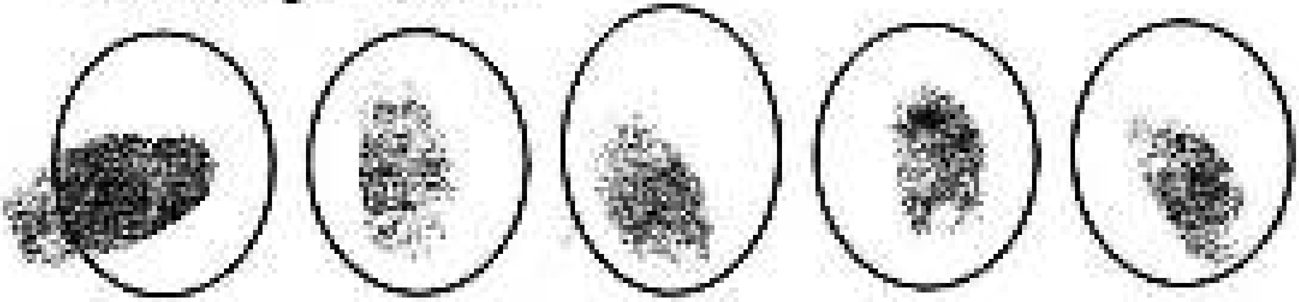

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

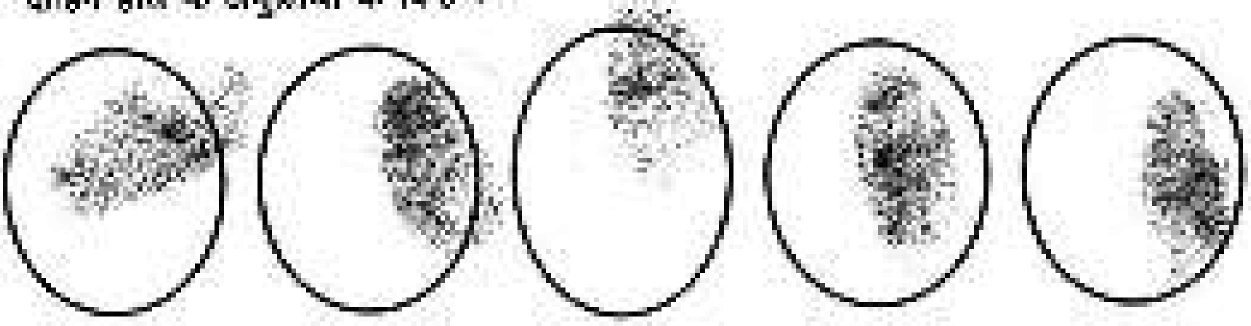

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता– सुशील पुत्र जगतपाल, निवासी– मिर्जापुर, मिठारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0।

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह–

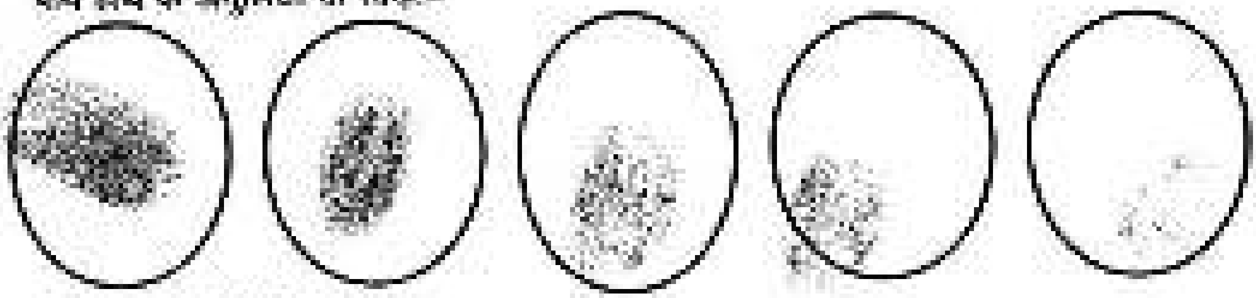

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह–

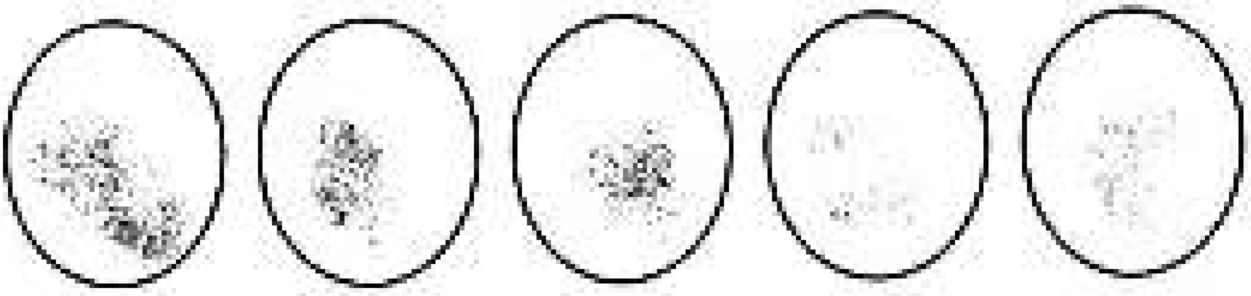

क्रेता के हस्ताक्षर

सुशील कुमार

টিপ।

Registration No. 2023

Year: [illegible]

Book No. I

2001 মুদ্রিত

[illegible]

Photo: [illegible]

মুদ্রিত

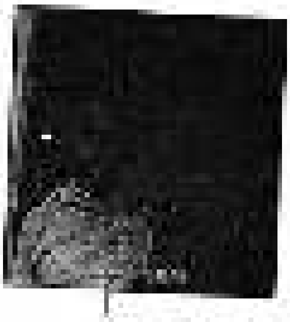

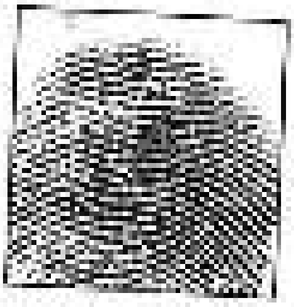

नक्शा नजरी

ग्राम : पटौना

खसरा संख्या- 15, 18

[illegible] : बाबूलाल, राजबहादुर एवं श्रीमती राजरानी.

[illegible] : सोनेलाल पु० कुआँई ।

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

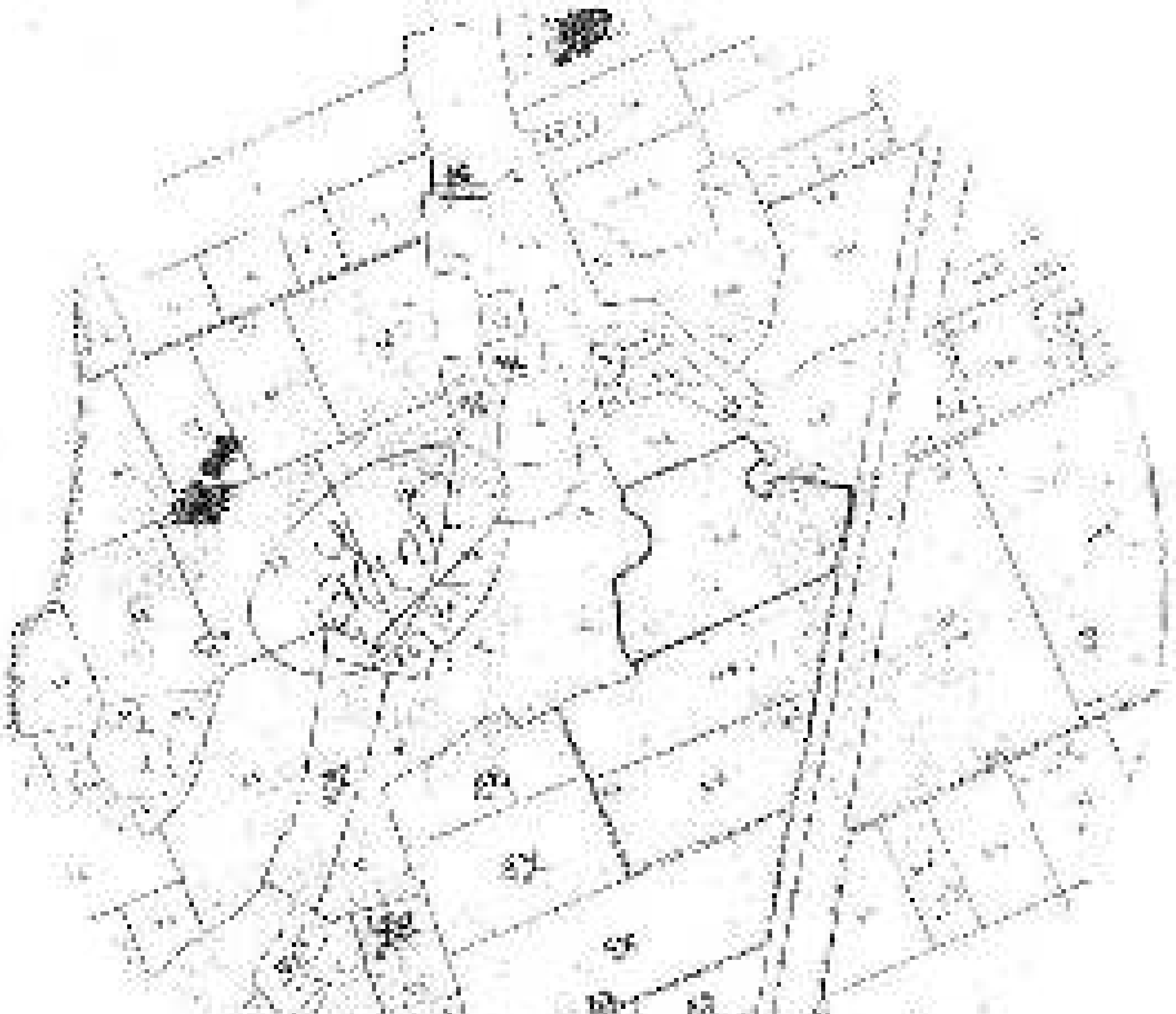

आज दिनांक 26/03/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8211

पृष्ठ सं 77 से 110 पर क्रमांक 2923

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के. शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

26/03/2007